

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक - जिशिक्षा/प्रारि/भंगा/मान्यता/12/1367

दिनांक - 23/11/12

(आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत पुनः पंजीयन)

मान्यता कोड संख्यांक 0080

प्रबन्धक,

सिटी पब्लिक शिक्षा समिति,  
नई मंडी घड़साना।

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रस्ताव - पत्र।

संबंधित / महोदय,

आपके दिनांक 21.03.12 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परस्परवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं सिटी पब्लिक स्कूल नई मंडी घड़साना (अंग्रेजी माध्यम) को दिनांक 23.11.12 से 23.11.15 दिनांक तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्ति का आस करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता प्रारम्भ करेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कौपिटेसन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्वीयनिष्ठ प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण हो जाने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या अक्षरता या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती वादा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-

- ( I ) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उस विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
- ( II ) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
- ( III ) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- ( IV ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- ( V ) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशुल्कता व्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जायेगा।
- ( VI ) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 ( 1 ) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

11/11/12  
अध्यक्ष

सिटी पब्लिक शिक्षा समिति  
नई मंडी घड़साना

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारि.)  
श्रीगंगानगर (राज.)

Headmistress

The Sanyas A Global School  
New Gharsana (SONR)  
Dist. - 335015/33542

( VII ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (f) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है और

( VIII ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में विद्योजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यवर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा -19 के अधिकाधिक, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अध्यापक विद्यालय के मानकों और शर्तियों को बनाये रखेगा। अन्तिम विरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं -  
विद्यालय परिसर का क्षेत्र 4500 वर्गफुट  
कुल निर्मित क्षेत्र 2138 वर्गफुट  
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल 2362 वर्गफुट  
कक्षा कमरों की संख्या 11  
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह -मंजूर कक्षा 1  
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 4  
पेपरजल सुविधा उपलब्ध  
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई नहीं  
बाधा रहित पहुँच  
अध्यापक पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्याय अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकमाउंटेंट द्वारा अयरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 0080 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के अंतर्गत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएँ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
19. संलग्न उपावस्था- III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्राथमिक शिक्षा श्रीगंगानगर

जिला शिक्षा अधिकारी (प्र.शिक्ष.)  
श्रीगंगानगर (राज.)